राजस्थान सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नांगल राजावतान (दौसा)

दावा संख्या 26/2017

दायर दिनांकः 28-07-2017

निर्णय दिनांकः 16-10-2017

उनवान

रिन्कू पुत्र मोहनलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जैतपुरा तहसील नांगल राजावतान।

बनाम

1. प्रभातीलाल पुत्र ग्यारसा
2. हण्डाली पुत्र ग्यारसा
3. लालचन्द पुत्र नारायण
   समस्त जाति धोबी निवासी नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नांगल राजावतान
5. मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा नांगल राजावतान जरिये शाखा प्रबन्धक

वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:::निर्णय:::

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगणों की संयुक्त खाते की भूमि ग्राम नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान मे स्थित है, जिसके खसरा नंबर 405 रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम नांगल राजावतान भूमि मुतदाविया है। राजस्व रिकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज है। वादी ने अनुतोष चाहा है कि उपरोक्त वर्णित भूमि को वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के मध्य जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से कब्जे व नजरी नक्शा के अनुसार तकास्मा फरमाते हुए खाता, लगान व भूमि का तकास्मा पृथक–पृथक, खाता पृथक–पृथक, नक्शा पृथक–पृथक लगान कायम फरमाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण मे दिनांक 06.09.2017 को निर्णय पारित किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। तहसीलदार नांगल राजावतान को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की पालना मे कुर्रेजात भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार नांगल राजावतान के पत्र कमांकःभू0अ0/17/1543 दिनांक 26.09.2017 द्वारा प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया। वादी स्वयं उपस्थित । प्रतिवादीगण बावजूद सूचना नोटिस के उपस्थित नही। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्व दिनांक 06.09.2017 के कार्यवाही इकतरफा अमल मे लाई जा चुकी है। उपस्थित वादी एवं तहसीलदार नांगल राजावतान को सुना गया। वादी द्वारा कुर्रेजात का अवलोकन कर कुर्रेजात सही होना स्वीकार कर कुर्रेजात अनुसार विभाजन हेतु निवेदन किया।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, संलग्न प्राप्त नक्शा तथा प्राप्त कुर्रेजात का मिलान किया गया। प्राथमिक डिकी के अनुसार कुर्रेजात सही होना पाया गया। तहसीलदार नांगल राजावतान से प्राप्त कुर्रेजात स्वीकार की जाती है।

अतः कुर्रेजात अनुसार ग्राम नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान स्थित खसरा नंबर 405 रकबा 0.41 हेक्टेयर मे से खसरा नंबर 405 रकबा 0.09 हैक्टेयर बा02 लगान 0.58 (जिसे नक्शाट्रेस मे बरंग आसमानी से दर्शाया गया है) वादी रिंकू कुमार पुत्र मोहनलाल हि0 3/4 जाति बैरवा सा0 जैतपुरा, प्रतिवादी, लालचन्द पुत्र नारायण हि0 1/12, प्रभातीलाल, हण्डाली पि0 ग्यारसा हि0 1/6 जाति धोबी साकिन देह के

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नांगल राजावतान (दौसा)

हिस्से मे रहेगी तथा खसरा नंबर 405/1 रकबा 0.24 हैक्टेयर बा02 लगान 1.56 (जिसे नक्शाट्रेस मे बरंग पीले से दर्शाया गया है) वादी रिंकू कुमार पुत्र मोहनलाल बैरवा सा0 जैतपुरा के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा नंबर 405/2 रकबा 0.08 हैक्टेयर बा02 लगान 0.52 (जिसे नक्शाट्रेस मे नीले रंग से दर्शाया गया है) प्रतिवादी लालचन्द पुत्र नारायण हि0 1/3, प्रभातीलाल, हण्डाली पि0 ग्यारसा हि0 2/3 जाति धोबी सा0 देह के हिस्से मे रहेगी।

अतः कुर्रेजात की एक प्रति तहसीलदार नांगल राजवतान को प्रेषित कर उपरोक्तानुसार अलग–अलग खाता एवं लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे तथा नक्शें मे प्रस्तावित बटा नम्बरों की रकबा बरारी की जाकर नक्शो मे तरमीम की जावे। रहन का इन्द्राज हिस्से अनुसार किया जावे। उक्त तकास्मे से एन.एच. 11 ए की अधिग्रहण की कार्यवाही प्रभावित नही होगी। अन्तिम डिकी जारी हो । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील प्रविष्ठ लेख भण्डार हो। निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ गोरधन लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नांगल राजावतान

एवं ... मजिस्ट्रेट
नांगल राजावतान (दौसा)